भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2979
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: प्रस्तावित बीज विधेयक

2979. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को किसान संगठनों द्वारा इस बात की व्यापक चिंता की जानकारी है कि प्रस्तावित बीज विधेयक किसानों के बीजों को बचाने, विनिमय करने और पुनः उपयोग करने के पारंपरिक अधिकारों को कमजोर करता है;

(ख) क्या छोटे और सीमांत किसानों को कॉरपोरेट बीज आपूर्तिकर्ताओं पर बढ़ती निर्भरता और अधिक खेती लागत का डर है;

(ग) क्या विशेषकर केरल जैसे राज्यों में आजीविका, जैव-विविधता और खाद्य सुरक्षा के संबंध में कोई व्यापक प्रभाव का आकलन किया गया है; और

(घ) इस विधान को अंतिम रूप देते समय किसानों की स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (घ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्व-विधायी परामर्श हेतु बीज विधेयक का मसौदा सार्वजनिक किया गया था और किसानों, राज्यों, किसान संगठनों, विशेषज्ञों जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स से बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं। किसान हितों, आजीविका की पूर्ण सुरक्षा और जैव विविधता संबंधी चिंताओं सुनिश्चित करने के लिए इन सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जा रहा है।

प्रस्तावित मसौदा बीज विधेयक से गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन और आपूर्ति को सुगम बनाने तथा इससे संबंधित मामलों के लिए बीजों और रोपण सामग्री की गुणवत्ता को विनियमित करने और किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है; साथ ही किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलावटी और खराब गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने की भी अपेक्षा की जाती है।

*****